-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के दोनों अभियुक्तों को सूचना 04 घण्टे के भीतर थाना कोतवाली नगर पर एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पैर में लगी गोली।**
- **अभियुक्तों द्वारा कोचिंग पढ़कर ऑटो से घर जा रही नाबालिग लड़की से ऑटो को सूनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को दिया गया था अंजाम।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजीव प्रताप सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 03.08.2025 को थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने दिनांक 02.08.2025 की देर रात्रि को थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री दोपहर में कोचिंग पढ़ने गई थी शाम को कोचिंग से घर सीएनजी ऑटो में लौट रही थी। घर लौटते समय ऑटो चालक तथा उसमें बैठे एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि वे भी उसी तरफ जा रहे हैं। दोनों अभियुक्त ऑटो को सूनसान स्थान पर ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए। सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को से गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। दोनों अभियुक्तों के गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत स्थिर है। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त सीएनजी ऑटो बरामद हुआ है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी-

- 02 अवैध तमंचा
- 04 जिन्दा कारतूस
- 02 खोखा कारतूस
- घटना में प्रयुक्त ऑटो

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कल्लू उर्फ मनोज यादव पुत्र भवानीदीन नि0 मवई थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. अनिल वर्मा पुत्र जयकरन नि0 थाना बबेरु जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 653/25 धारा 70(2) बीएनएस व धारा 5G/6 पॉक्सो एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 थाना कोतवाली नगर मय टीम
2. प्रभारी एसओजी श्री आनन्द कुमार/श्री कृष्णदेव त्रिपाठी मय टीम

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कल्लू उर्फ मनोज यादव उपर्युक्त-

2. मु0अ0सं0 39/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 653/25 धारा 70(2) बीएनएस व धारा 5G/6 पॉक्सो एक्ट।